

जापान में निवास कर रहे सभी विदेशी नागरिकों के लिए।

हिंदी (ヒンディー語)

9 जुलाई 2012 से प्रभावी

नई निवासी प्रबंधन व्यवस्था के लागू होने के फलस्वरूप एक निवासी कार्ड जारी किया जाएगा। एलियन पंजीकरण व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी।

निवासी कार्ड निर्गमन

● यह किस पर लागू होगा:

निवासी कार्ड जापान में रह रहे उन लोगों को जारी किया जाएगा जिन्हें तीन महीने से अधिक निवास करने की हैसियत और अनुमति प्राप्त है।

-निवासी कार्ड उन लोगों को जारी नहीं किया जाएगा जिन्हें अस्थायी निवास, राजनयिक या आधिकारिक दर्जा प्राप्त है।

-विशेष स्थायी निवासियों के लिए निवासी कार्ड के बदले एक विशेष स्थायी निवासी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

● सूचना अंकन:

कार्ड पर चित्र (सिर्फ चेहरा) के अतिरिक्त नाम, राष्ट्रियता/क्षेत्र, जन्मतिथि, लिंग, निवास की स्थिति, निवास अवधि तथा कार्य करने का आज्ञापत्र जैसी सूचनाएँ दर्शायी जाएँगी।

● वैधता अवधि:

	16 वर्ष या अधिक आयु	16 वर्ष से कम आयु
स्थायी निवासी	जारी होने की तिथि से सात वर्ष तक	व्यक्ति की 16 वीं वर्षगाँठ तक
स्थायी निवासी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति	निवास की अवधि की समाप्ति तक	निवास की अवधि की समाप्ति तक या व्यक्ति की 16 वीं वर्षगाँठ तक जो भी पहले हो

● जारी करने का स्थान:

क्षेत्रीय अप्रवासी कार्यालय:

9 जुलाई 2012 से नरिता, हानेदा, चूबु और कंसाई विमानपत्तनों पर जापान में आने वाले मध्यम से दीर्घ अवधि तक निवास करने का दर्जा प्राप्त लोगों का निवासी कार्ड जारी किए जाएँगे। यद्यपि अन्य हवाई अड्डों से आगमन/प्रस्थान करने वालों को आगमन

के बाद निवासी कार्ड सामान्य पंजीकृत डाक से व्यक्ति द्वारा नगर पालिका कार्यालय में दर्ज कराए गए पते पर भेज दिया जाएगा अधिक जानकारी हेतु कृपया क्षेत्रीय अप्रवासी ब्यूरो, जिला अप्रवासी कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय में संपर्क करें।

● किस तिथि तक एलियन पंजीकरण प्रमाणपत्र का निवासी कार्ड में परिवर्तन अनिवार्य है:

- जब तक कि नया निवासी कार्ड जारी नहीं होता, एक निश्चित अवधि के लिए, एलियन पंजीकरण प्रमाणपत्र निवास अधिसूचना या क्षेत्रीय अप्रवासी कार्यालयों की प्रक्रियाओं के लिए निवासी कार्ड के समतुल्य माना जाएगा यह जरूरी नहीं कि आप अपना एलियन प्रमाणपत्र तुरंत निवासी कार्ड में बदलें।
- यदि निवास अवधि में विस्तार आदि की अनुमति दी जाती है तो क्षेत्रीय अप्रवासी कार्यालय द्वारा एक नया निवासी कार्ड जारी किया जाएगा।
- स्थायी निवासियों को जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, 8 जुलाई 2015 * तक अपना निवासी कार्ड प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। वे लोग जिनकी आयु 16 वर्ष से कम है अपनी 16 वर्ष की जन्मतिथि तक निवासी कार्ड प्राप्त कर लें। यदि जन्म तिथि 8 जुलाई 2015 के बाद में आनेवाली है, तो 8 जुलाई 2015 तक निवासी कार्ड प्राप्त कर लेना अनिवार्य है।
- नोट: उन निवासियों को जिन्हें चार या पाँच वर्ष तक रहने और अधिकृत गतिविधियों का दर्जा प्राप्त है, उन्हें भी 8 जुलाई 2015 तक अपना निवासी कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है।

● क्या सुविधाजनक रहेगा ?

- जो अपने पासपोर्ट और निवासी कार्ड के साथ जापान से प्रस्थान कर रहे हैं और जिनकी योजना एक वर्ष के भीतर और उनकी निवास अवधि की समाप्ति के पहले पुनरागमन की है*, वे सिद्धांततः पुनरागमन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं करेंगे। इसे विशेष पुनरागमन प्रमाणपत्र व्यवस्था कहा जाता है। वे निवासी जो वैध अवधि के भीतर जापान में पुनरागमन में विफल रहते हैं अपनी आवासन हैसियत खो देंगे। इसके अतिरिक्त कृपया ध्यान दें कि विशेष पुनरागमन आज्ञापत्र विदेश में रहते हुए बढ़ाया नहीं जा सकता।

नोट: विशेष स्थाई निवासियों के संदर्भ में विशेष पुनरागमन आज्ञापत्र उन लोगों के लिए मान्य है जिनकी जापान वापस आने की योजना दो वर्षों के भीतर है।

निवास प्रमाणपत्र:

विदेशी नागरिक जो निवासी कार्ड अथवा विशेष स्थाई निवासी प्रमाणपत्र पाने के योग्य हैं स्थानीय नगर पालिका, जिसके वे निवासी हैं, द्वारा निर्मित निवास प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जैसाकि जापानी नागरिकों के लिए किया जाता है।

● विवरण अंकन:

विदेशी नागरिकों के प्रमाणपत्र पर नाम, जन्मतिथि, लिंग और पता साथ ही विदेशियों के विशिष्ट ब्यौरे जैसे कि राष्ट्रीयता/क्षेत्र, निवास की स्थिति, निवास अवधि अंकित होंगे।

●निवास प्रमाणपत्र की प्रतियों की उपलब्धता:

विदेशी नागरिक भी अपने निवास प्रमाणपत्र की प्रति प्राप्त करने में सक्षम होगा अथवा अपने स्थानीय पालिका कार्यालय के पटल से निवास पंजिका में दर्ज विवरण का एक प्रमाणपत्र हासिल कर सकेगा जैसाकि जापानी नागरिक करते हैं।

*बेसिक आवास पंजीयन व्यवस्था के संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें-

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

निम्नलिखित मामलों में अधिसूचना या आवेदन प्रक्रिया अनिवार्य होगी-

स्थिति	कहाँ जाएँ
<p>1. नई जगह के बारे में निर्णय लेने पर, या जब पते में बदलाव हो, मूविंग-इन अधिसूचना*, पता बदलने की अधिसूचना*, मूविंग आउट अधिसूचना**</p> <p>*कृपया अपना निवासी कार्ड अथवा विशेष स्थायी निवास प्रमाणपत्र(या अपना एलियन पंजीकरण प्रमाणपत्र) साथ लाएँ।</p> <p>**नई नगर पालिका के पते पर जाने में आपको अग्रिम तौर पर मूविंग आउट सूचना उस पालिका को देनी होगी जिसे आप छोड़ रहे हैं।</p>	<p>स्थानीय नगर पालिकाएँ</p>
<p>2. जब नाम राष्ट्रीयता/क्षेत्र आदि में परिवर्तन हो।</p> <p>3. जब आपका निवासी कार्ड खो जाय इस प्रकार क्षतिग्रस्त हो जाय कि उसका उपयोग संभव न हो।</p> <p>4. स्थायी निवासी तथा वे जिनकी आयु 16 वर्ष से कम हो -जब आपके निवासी कार्ड की वैधता अवधि समाप्त होने वाली हो</p>	<p>क्षेत्रीय अप्रवासी कार्यालय</p>
<p>5. वे जिन्हें रोजगार का दर्जा प्राप्त है(कुछ अपवादों को छोड़कर) विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु -जब आपका संबद्ध संस्थान जैसेकि नियोक्ता या शैक्षिक संस्थान अपना नाम या पता बदल ले अथवा किसी कंपनी के दिवालिया होने पर या कंपनी के साथ समझौते की समाप्ति पर अथवा नयी नियुक्ति होने के साथ तबादले पर।</p> <p>6. वे जो आश्रित (पति/पत्नी के तौर पर), अधिकृत गतिविधियाँ की हैसियत से हैं। (C) जापानी नागरिकों के पति/पत्नी या बच्चे अथवा स्थायी नागरिकों के पति/पत्नी या बच्चे -पति/पत्नी से तलाक या मृत्यु की स्थिति में</p>	<p>क्षेत्रीय अप्रवासी कार्यालय तक व्यक्तिगत तौर पर अधिसूचना साथ ले जाएँ या डाक द्वारा तोकयो क्षेत्रीय अप्रवासी ब्यूरो तक भेज दें</p>

गैर-जापानी भाषाओं में पूछताछ:

अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित कार्यालयों से संपर्क करें।

<p>अप्रवासी सूचना केंद्र सोमवार से शुक्रवार: 8:30-17:15 दूरभाष:0570-013904(IP फोन,PHS, अंतर्राष्ट्रीय कॉल:03-5796-7112)</p>	<p>भाषा उपलब्धता: अंग्रेजी, चीनी, कोरियाई, स्पेनी तथा पुर्तगाली</p>
<p>एकल पटल परामर्श सहयोग केंद्र सोमवार से शुक्रवार: 9:00-16:00 विदेशी नागरिक परामर्श सहयोग केंद्र (शिंजुकू):03-3202-5535 साइटमा सूचना एवं सहयोग केंद्र:048-833-3296 हमामात्सु बहुसांस्कृतिक केंद्र:एकल पटल परामर्श कॉर्नर:053-458-1510 वेब: http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html</p>	<p>दूरभाष या व्यक्तिगत तौर पर जानकारी के लिए जापानी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सेवाएँ उपलब्ध हैं। अन्य भाषाओं में जानकारी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर निर्भर करती है। अतःवेब साइट देखना न भूलें। शिंजुकू: अंग्रेजी,चीनी,स्पेनी,पुर्तगाली,बंगाली,विएतनामी,इंडोनेशियाई साइटमा: अंग्रेजी,चीनी,स्पेनी,पुर्तगाली, तगालॉग, कोरियाई,थाई,विएतनामी हमामात्सु: अंग्रेजी,चीनी,स्पेनी,पुर्तगाली, तगालॉग,</p>

अप्रवासी ब्यूरो, न्याय मंत्रालय:

नवीन निवासन प्रबंध व्यवस्था के संदर्भ में

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

* अंग्रेजी,चीनी (सामान्य एवं पारंपरिक),स्पेनी, कोरियाई एवं पुर्तगाली संस्करण उपलब्ध।

(अनुवाद: तोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज)